

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग-8
संख्या:- /2017/181(120)/XXVII(8)/08
देहरादून: दिनांक 22 मई, 2017

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं0 27, वर्ष 2005) की धारा 32 की उपधारा (12) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 01 वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, सहर्ष आदेश देते हैं कि उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन वर्ष 2013-14 के लिए कर निर्धारण अथवा पुनः कर निर्धारण दिनांक 30 सितम्बर, 2017 किया जा सकेगा।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

सं0 394/2017/181(120)/XXVII(8)/2008, तददिनांक।


प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- आयुक्त, कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अधिसूचना से अवगत करा दें।
- 2- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100-100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग-8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
- 3- एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
- 4- गार्ड फाईल हेतु।


.....अनुभाग
आवश्यक कार्यवाही करें।

अपर आयुक्त-विभिन्न कर
उत्तराखण्ड, देहरादून

आज्ञा से,


(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनु सचिव।

1593
22/05/2017

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 394/2017/181(120)/XXVII(8)/08, Dated 22 May, 2017 for general information.

Government of Uttarakhand
Finance Section-8
No. 394/2017/181(120)/XXVII(8)/08
Dehradun :Dated 22 May, 2017

Notification

In exercise of the powers conferred by sub-section (12) of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act no.27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clause Act, 1904 (U.P. Act No 1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to order that tax assessment or tax reassessment of cases under the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 for the year 2013-14 can be made upto 30 September, 2017.


(Amit Singh Negi)
Secretary.